न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं0–149/2021 **धारा–144 दं0प्र0स0**

सुमा देवी–बनाम– युसुफ अंसारी वगै0

तारीख	–:आदेश:–	अभियुक्ति

आवेदक के आवेदन के पश्चात संतुष्ट होकर उभय पक्षों के विरूद्ध मौजा कटघरा थाना चलकुशा,जिला हजारीबाग के अन्तर्गत खाता सं0 67, प्लॉट सं0 1004 रकबा 80 डी0 भूमि जिसका चौहदी उ0–खलील मियां वगै0 द0–लीलो मियां पू0–मदरसा प0–सीमाना सुदन वाली भूमि पर धारा–144 दं0प्र0सं0 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर भूमि संबंधी कागजात एवं कारणपृच्छा की मांग की गयी।

आवेदक अपने आवेदन पत्र में लिखित बयान दिया है कि विवादित भूमि खाता सं0 67, प्लॉट सं0 1004 रकबा 80 डी0 इनके पूवर्ज कुजल तुरी को जमीनदार सोतोपोतो मुखर्जी के द्वारा हासिल है कुंजल तुरी के मरनोपरांत उनके उत्तराधिकारी के द्वारा शंतिपुर्वक दखल कर खेती–बारी कर जोत अबाद करते चले आ रहे है। विवादित भुमि का रशिद भी कटते चला आ रहा है, अभी कोलेश्वर तुरी(आवेदिका के पिता/पति) का ईलाज के0एफ0 मेडिकल प्रा0 लि0 कलकता (प0बंगाल) में गभीर बिमारी का ईलाज चल रहा है जिसका विपक्षीगण नाजायज फायदा एवं जाली कागज दिखाकर बाजबरन मेरी दखल कब्जा वाली भुमि पर विपक्षीगण बजबरदस्ती कब्जा कर मकान बनाने पर उतारू है।

द्वितीय पक्ष द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कारणपृच्छा दाखिल किया जिसमें उल्लेख किया है कि खाता सं0 67, प्लॉट सं0 1004 रकबा 80 डी0 साकिन कटघरा थाना बरकटठा हाल थाना चलकुशा जिला हजारीबाग मे अवस्थित है जो भूमि 1 बीबी रजिया पति बरसात मियां 2. रहिमनी पति मुस्लिम मियाँ साकिन कटघरा प्रगाना रामपुर थाना बरकटठा हाल थाना चलकुशा जिला हजारीबाग ने बैयला कलामी बिक्रय पत्र द्वारा दिनांक 10.03.1989 को प्राप्त किये जो पंजी II के पृष्ट सं 326/ II पर बीबी रहमनि वगै0 के नाम से खाता सं 67 रकवा 40 डी0 भुमि का जमाबंदी अंकित है जिसका दाखिल खारिज करवाकर सरकारी रशिद वर्ष 1999 से 2000 तक निर्गत है एवं खरीदगी के बाद से अभी तक शांतिपूर्ण दखल–कब्जा मे चले आ रहे है। उक्त विवादी भुमि पर द्वितिय पक्ष द्वारा पूर्व मे ही घर बनाया गया है तथा इस केश के पूर्व एक केश धारा 144 द0प्र0स0 का वाद सं 20/2020 लक्ष्मी देवी बनाम युसुफ मियां एवं पूनः धारा 144 द0प्र0स0 का वाद सं 13/21 सुमा दवी बनाम युसुफ अंसारी का किया गया था ।

उभय पक्षों के कारणपृच्छा एवं अधिवक्ताओं के दलील से स्पष्ट है कि उभय पक्ष अपने–अपने कागजातों के आधार पर प्रश्नगत भूमि के स्वत्व एवं उसके आधार पर दखल कब्जा का दावा करते है उभय पक्षों को शांति व्यवस्था बनाये रखने के निदेश के साथ वाद की कार्रवाई बिना किसी बाध्यकारी आदेश के समाप्त की जाती है। उभय पक्ष, अपने–अपने स्वत्व के आधार पर अपनी भूमि का मापी करने हेतु अंचल अधिकारी, चलकुशा के समक्ष आवेदन कर सकते है। उभय पक्षों को शाति बनाये रखने के निदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

इस आदेश के आलोक में कोई भी पक्ष प्रश्नगत भूमि पर अपने स्वत्व (title) का दावा नहीं करेंगा।

अतः वाद की कार्यवाही बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

21/10/21

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

21/10/21

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2023.02.08 23:57:39 +05:30
Location: 192.168.101.22